लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

'ALL MPS SHOULD SEND CONSENT FORMS FOR ALLOCATION OF MINIMUM ONE CRORE RUPEES FROM THEIR MPLAD FUND TO FIGHT COVID 19 PANDEMIC: LOK SABHA SPEAKER

New Delhi, 28 March 2020: Lok Sabha Speaker Shri Om Birla has urged Members of Parliament to forward their Consent Letters to Ministry of Statistics and Program Implementation for allocation of minimum Rs. One crore from their MPLAD Fund (for the financial year 2020 -2021) for the availability of screening kits, masks, personal protection kits and other medical equipments needed to fight the COVID 19 pandemic.

Referring to the important role of public representatives in the context of the Covid 19 pandemic, Shri Birla said that in such a crisis their liability increases manifold. He emphasized that the people's representatives should ensure that the lockdown does not impede the poor and the needy in meeting their basic needs.

सभी सांसदगण कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए अपनी सांसद निधि (एमपीलैड फंड) से कम से कम एक करोड़ रुपये का स्वीकृति सम्बन्धी सहमति प्रपत्र (कंसेंट फॉर्म) भेजें ' : लोक सभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, 28 मार्च 2020 : लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक जांच किट, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन किट और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्ध्ता के लिए अपनी सांसद निधि (एमपीलैड फंड) से वित्तीय वर्ष 2020 -2021 के लिए एमपीलैड स्कीम के तहत सांसदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि में से कम से कम एक करोड़ रुपये का स्वीकृति सम्बन्धी सहमति प्रपत्र (कंसेंट फॉर्म) भरकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजें ।

कोवीड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए श्री बिरला ने कहा कि ऐसे संकट में हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि इसीलिए सांसदों को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर गरीबों और अभावग्रस्त व्यक्तियों को जन-सहयोग द्वारा खाद्य सामग्रियों एवं रोजमर्रा की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए हमें पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है।